भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ संख्या:-भा.वि.प्रा./प्रतापगढ़/आरटीआई-33/2025/ 196-200

दिनांक:- 04.08.2025

[redacted]

विषय: आर टी आई अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2025 जिसके साथ आरटीआई शुल्क के रूप में 10/- रुपये का आईपीओ संख्या 69F 349616 संलग्न है का संदर्भ लें, जो संयुक्त महाप्रबंधक (भूमि प्रबंधन), उ.क्षे., भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली-110037 से दिनांक 22.07.2025 को ई-मेल द्वारा कार्यालय: प्रभारी अधिकारी, वैमानिक संचार केंद्र, प्रतापगढ़ में प्राप्त हुआ।

2. उपर्युक्त आरटीआई आवेदन पत्र में मांगी गई सूचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	मांगी गई सूचना का विवरण	दी गई सूचना का विवरण
1.	क्या उपरोक्त सर्वे नंबरों की भूमि AAI के स्वामित्व/आरक्षित उपयोग के अन्तर्गत अधिसूचित की गई थी? कृपया सरकारी अधिसूचना / आदेश की प्रति संलग्न करें।	वैमानिक संचार केंद्र प्रतापगढ़ के पास अधिसूचना / आदेश के रिकार्ड्स उपलब्ध नहीं है।
2.	क्या AAI को इस अतिक्रमण, निर्माण, गिफ्ट डीड और जाली नामांतरण की जानकारी है? यदि हाँ, तो किन किन स्तरों पर यह सूचना AAI के पास पहुंची और किन अधिकारियों ने संज्ञान लिया?	(i) AAI को जानकारी है। (ii) प्रभारी अधिकारी, वैमानिक संचार केंद्र प्रतापगढ़, क्षेत्रीय मुख्यालय (उत्तरी क्षेत्र) एवं निगमित मुख्यालय, नई दिल्ली के स्तरों पर सूचना पहुंची है। (iii) क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) एवं प्रभारी अधिकारी, वैमानिक संचार केंद्र प्रतापगढ़ (राज.) द्वारा संज्ञान लिया गया है।
3.	क्या AAI ने अब तक कोई आपत्ति, रिपोर्ट या शिकायत जिला प्रशासन, मंदसौर, राजस्व विभाग अथवा न्यायालय में दायर की है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति प्रदान करें।	(i) हाँ। (ii) प्रतियां संलग्न है।
4.	क्या AAI ने जमीन के भौतिक नियंत्रण/कब्जे को पुनः प्राप्त करने की कोई कार्यवाही आरंभ की है? यदि हाँ तो उसकी विस्तृत जानकारी दें।	हाँ। इस संबंध में निम्न प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश) में विचाराधीन है- प्रथम प्रकरण क्रमांक-RCS A/300017/2013 न्यायालय-VII अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रजिस्ट्रेशन नंबर-300017/2011 रजिस्ट्रेशन तिथि-20.06.2012 सीएनआर नंबर-MP1401000326201l द्वितीय प्रकरण क्रमांक-MJC/58/2023 न्यायालय-II अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रजिस्ट्रेशन नंबर-58/2023 रजिस्ट्रेशन तिथि-17.04.2023

4-13
04/08/2025

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

		सीएनआर नंबर-MP14010008812023
5.	क्या उक्त प्रकरण की CBI, EOW, Vigilance या अन्य एजेंसी से जाँच हेतु कोई पत्राचार हुआ है?	वैमानिक संचार केंद्र प्रतापगढ़ के पास उपलब्ध रिकार्ड्स के अनुसार उक्त प्रकरण की CBI, EOW, Vigilance या अन्य एजेंसी से जाँच हेतु कोई पत्राचार नहीं हुआ है।
6.	क्या AAI ने राज्य शासन / कलेक्टर मंदसौर को आदेश दिए हैं कि निर्माण हटाया जाए और अतिक्रमण हटाकर भूमि मुक्त कराई जाए?	वैमानिक संचार केंद्र प्रतापगढ़ के पास उपलब्ध रिकार्ड्स के अनुसार AAI ने राज्य शासन / कलेक्टर मंदसौर को आदेश नहीं दिए है।
7.	क्या AAI ने [redacted] स्टोरेज के संचालन के विरुद्ध FIR / प्रशासनिक कार्यवाही हेतु किसी एजेंसी को अधिकृत किया है?	वैमानिक संचार केंद्र प्रतापगढ़ के पास उपलब्ध रिकार्ड्स के अनुसार AAI ने [redacted] स्टोरेज के संचालन के विरुद्ध FIR / प्रशासनिक कार्यवाही हेतु किसी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है।
8.	क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत, भूमि को इस प्रकार अवैध रूप से गिफ्ट डीड/नामांतरण करना एक दंडनीय अपराध नहीं माना जाता?	वैमानिक संचार केंद्र प्रतापगढ़ के पास उपलब्ध रिकार्ड्स के अनुसार इस तरह के मामलों के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कोई कानून नहीं है।
9.	क्या भविष्य में AAI की कोई रिक्लेम/रिकवरी/लीगल एक्शन स्ट्रेटेजी प्रस्तावित है इस भूमि को सुरक्षित रखने हेतु?	भविष्य में इस भूमि को सुरक्षित रखने हेतु AAI की एक्शन स्ट्रेटेजी मौजूद है।

3. यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, श्री रमेश कुमार, कार्यकारी निदेशक (भूमि प्रबंधन), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, 'सी' ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 के समक्ष अपील कर सकते हैं।

धन्यवाद।

संलग्नक: यथोपरी

04/08/2025

(दीपचन्द)
प्रभारी अधिकारी/सीपीआईओ
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
वैमानिक संचार केंद्र, प्रतापगढ़

प्रति (सूचनार्थ):-

1. श्रीमान क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, एन.ए.टी.एस. कॉम्प्लेक्स, पालम, नई दिल्ली।
2. श्रीमती जसमिंदर कौर, महाप्रबंधक (भूमि प्रबंधन),सीपीआईओ, भाविप्रा, राजीव गांधी भवन नई दिल्ली।
3. श्री जी.बी.धनारा, प्रभारी (भूमि प्रबंधन), उत्तरी क्षेत्र, एन.ए.टी.एस. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
4. श्री प्रवीण कुमार आसिवाल, संयुक्त महाप्रबंधक (ई.एस.) आरटीआई सेल, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन

प्रेषक:

[redacted]

जनसूचना अधिकारी
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजीव गाँधी भवन,
सफदरजंग हवाई अड्डा परिसर,
नई दिल्ली – 110003

विषय:
मंदसौर (म.प्र.) की ग्राम अरणियाभट्टी में AAI की स्वामित्व भूमि पर अवैध कब्जे, जाली दस्तावेजों से गिफ्ट डीड, कोल्ड स्टोरेज निर्माण एवं प्रशासनिक लापरवाही से संबंधित सूचना की मांग।

महोदय,
सविनय निवेदन है कि मंदसौर जिले के ग्राम **अरणियाभट्टी**, सर्वे नंबर 151/1, 152, 156/2, 161/2, 162/2, 164/2, 156/1, 161/1, 162/1, 164/1 (कुल रकबा: 3.20 हेक्टेयर / लगभग 20 बीघा) भूमि **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** के नाम पर सुरक्षित घोषित है, जिसका उपयोग वायुमंडलीय संचार एवं हवाई अड्डा संबंधित गतिविधियों हेतु आरक्षित किया गया था।

परन्तु, उक्त भूमि पर [redacted] द्वारा एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत अवैध **गिफ्ट डीड** (MP249392020A1451 [redacted] दिनांक 04/08/2020) के माध्यम से इसे अपने पौत्र अनुशील गुप्ता के नाम कर दिया गया। इसके बाद:

- अवैध नामांतरण दिनांक 18/09/2020 को तहसीलदार न्यायालय से करवाया गया (प्रकरण 0495/अ-6/2020-21),
- फिर उस जमीन पर **झूठी जानकारी और फर्जी दस्तावेजों से व्यावसायिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन** करवा लिया गया,
- तथापि [redacted] स्टोरेज का निर्माण कराया गया,
- इस संपत्ति पर **AU बैंक एवं HDFC बैंक** से 5-6 करोड़ का ऋण भी लिया गया,

- जबकि जमीन अब भी वैध रूप से **AAI** की ही है और SDM, मंदसौर ने दिनांक 10/03/2025 को नामांतरण निरस्त कर दिया है।

अतः कृपया निम्नलिखित सूचनाएँ RTI अधिनियम के तहत प्रदान करने की कृपा करें:

सूचना की मांग:

1. क्या उपरोक्त सर्वे नंबरों की भूमि *AAI के स्वामित्व आरक्षित उपयोग* के अंतर्गत अधिसूचित की गई थी? कृपया सरकारी अधिसूचना/आदेश की प्रति संलग्न करें।
2. क्या AAI को इस अतिक्रमण, निर्माण, गिफ्ट डीड और जाली नामांतरण की जानकारी है? यदि हाँ, तो किन-किन स्तरों पर यह सूचना AAI के पास पहुँची और किन अधिकारियों ने संज्ञान लिया?
3. क्या AAI ने अब तक कोई आपत्ति, रिपोर्ट या शिकायत *जिला प्रशासन, मंदसौर, राजस्व विभाग* अथवा *न्यायालय* में दायर की है? यदि हाँ, तो उसकी प्रति प्रदान करें।
4. क्या AAI ने उक्त ज़मीन के **भौतिक नियंत्रण/कब्जे** को पुनः प्राप्त करने की कोई कार्यवाही आरंभ की है? यदि हाँ, तो उसकी विस्तृत जानकारी दें।
5. क्या उक्त प्रकरण की *CBI, EOW, Vigilance* या *अन्य एजेंसी* से जाँच हेतु कोई पत्राचार हुआ है?
6. क्या AAI ने राज्य शासन/कलेक्टर मंदसौर को आदेश दिए हैं कि निर्माण हटाया जाए और अतिक्रमण हटाकर भूमि मुक्त कराई जाए?
7. क्या AAI ने [redacted] स्टोरेज के संचालन के विरुद्ध *FIR/ प्रशासनिक कार्यवाही* हेतु किसी एजेंसी को अधिकृत किया है?
8. क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियमों के अंतर्गत, भूमि को इस प्रकार अवैध रूप से गिफ्ट डीड/नामांतरण करना एक दंडनीय अपराध नहीं माना जाता?
9. क्या भविष्य में AAI की कोई **रिक्लेम/रिकवरी/लीगल एक्शन स्ट्रेटेजी** प्रस्तावित है इस भूमि को सुरक्षित रखने हेतु?

शुल्क का विवरण:

RTI आवेदन शुल्क ₹10/- डाक से IPO/डीडी द्वारा संलग्न किया गया है।

नोट: यह प्रकरण अत्यंत गंभीर है और संपूर्ण शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि समय पर कठोर कार्यवाही नहीं की गई तो इससे न केवल सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति होगी, बल्कि AAI और केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा पर भी गहरा आघात पहुँचेगा। कृपया 30 दिन के भीतर उत्तर दें, अन्यथा अपील की कार्यवाही की जाएगी। दिनांक: //2025

स्थान: मंदसौर (म.प्र.)

आपका विश्वासपात्र,

[redacted]